20 वीं वार्षिक बैठक के लिए नोटिस Notice for 20th Annual General Meeting

शुक्रवार, 24 जून, 2016, दोपहर 12.00 बजे, वडोदरा Friday, 24th June, 2016 at 12.00 Noon At Vadodara



निवेशक सेवाएं विभागः

बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, तृतीय तल, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. ई-मेल: investorservices@bankofbaroda.com

INVESTORS' SERVICES DEPARTMENT

Baroda Corporate Centre, 3rd Floor, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051. Email: investorservices@bankofbaroda.com



विषय CONTENTS

	पृष्ठ सं.
	Page No.
नोटिस	
NOTICE	03
टिप्पणियां	
ical viai	
NOTES	03
प्रॉक्सी फार्म	
FORM OF PROXY	09



बैंक ऑफ़ बड़ीदा

प्रधान कार्यालय : मांडवी, बड़ौदा 390 006

कार्पोरेट कार्यालय: बडौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, जी ब्लॉक,

बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

(वेबसाईट: www.bankofbaroda.co.in)

एतदद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि निम्नलिखित कार्यों का संचालन करने के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की 20वीं वार्षिक सामान्य बैठक शुक्रवार, 24 जून, 2016 को दोपहर 12.00 बजे सर सयाजीराव नगरगृह, वडोदरा महानगर सेवासदन, टी.पी.-1, एफ.पी. 549/1, जीईबी कॉलोनी के पास. ओल्ड पादरा रोड. वडोदरा - 390 020 में सम्पन्न होगीः

1. बैंक के 31 मार्च, 2016 के तुलनपत्र, 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा, लेखों में समाहित अवधि के कार्य निष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श, अनुमोदन व इन्हें स्वीकार

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

A. DA. J12434112

(पी.एस. जयकुमार)

स्थानः मुंबई दिनांक : 13 मई, 2016 प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda - 390 006

Corporate Office: Baroda Corporate Centre, C-26, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051

(website: www.bankofbaroda.co.in)

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 20th Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of Baroda will be held on Friday, 24th June 2016 at 12.00 Noon at Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, T. P. - 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara - 390 020, to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2016, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2016, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

For. BANK OF BARODA

1. S. Jayakma

Place: Mumbai (P.S. Jayakumar) Date: 13th May, 2016 Managing Director & CEO

नोट :

1. प्रॉक्सी, की नियुक्ति :

बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए पात्र शेयरधारक बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए अपने स्थान पर प्रॉक्सी नियुक्त कर सकेगा/ सकेगी (बैंक के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के अलावा अन्य को) और यह आवश्यक नहीं होगा कि नियक्त प्रॉक्सी बैंक का शेयरधारक हो. प्रॉक्सी का कोई भी विलेख तब तक वैध नहीं माना जाएगा, जब तक कि वह इस सूचना के साथ संलग्न अथवा बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध फार्म 'बी' में भरा नहीं गया हो. उक्त प्रॉक्सी तभी प्रभावी मानी जाएगी यदि वह बैठक की तारीख से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात् शनिवार, 18 जून, 2016 को शाम 5.00 बजे तक या उससे पूर्व बैंक ऑफ़ बड़ौदा, केवायसी एवं एएमएल विभाग, ८वां तल, सूरज प्लाजा-।, सयाजीगंज, बड़ौदा-३९० 005 स्थित प्रधान कार्यालय में प्राप्त हो जाएगी और इसके साथ मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार पत्र की प्रति जो कि नोटरी पिलक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित हो, उक्त मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार पत्र यदि पूर्व में बैंक में जमा और पंजीकृत न किया गया हो, को भी साथ में भेजा जाएगा.

2. प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी के विधिवत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने अथवा वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे एक यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति, जिसे उस बैठक, जिसमें यह पारित किया गया था, के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में अभिप्रमाणित न किया गया हो, बैठक की तारीख से चार दिन पूर्व अर्थात शनिवार, 18 जून, 2016 को

NOTES:

1. Appointment of Proxy:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY (OTHER THAN AN OFFICER OR AN EMPLOYEE OF THE BANK) TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B" as annexed to this Notice and also available on Bank's website. The Proxy, in order to be effective, must be received at Head Office of the Bank situated at Bank of Baroda, KYC & AML Department, 08th Floor, Suraj Plaza - I, Sayajiganj, Vadodara 390 005 not less than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on Saturday, 18th June 2016 together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

2. Appointment of Representative:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company/entity unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank at the address



बैंक का कार्य समय समाप्त होने अर्थात् सायं 5.00 बजे तक या इससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में उपरोक्त पते पर जमा न कर दिया गया हो.

3. मताधिकार :

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सरकार से भिन्न संबद्ध नये बैंक का कोई भी शेयरधारक स्वयंधारित शेयरों के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार प्रयुक्त करने का पात्र नहीं होगा.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयरों एवं बैठकें) विनियमन,1998, यथा संशोधित, के विनियम 10 के अनुसार, यदि शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर हैं तो मतदान के लिए रजिस्टर में अंकित प्रथम व्यक्ति को उन शेयरों का एकल धारक समझा जायेगा. अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं तो प्रथम व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का पात्र है और केवल वह ही दूरस्थ ई-वोटिंग अथवा बैठक में वोटिंग, यदि वोटिंग के अधिकार का प्रयोग दूरस्थ ई-वोटिंग के द्वारा नहीं किया जाता है, कार्यसूची पर मत देने का पात्र होगा.

4. उपस्थिति-पर्ची सह प्रवेश पत्र-सह मत-पत्रक (उपस्थिति पर्ची)ः

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, इस नोटिस के साथ रिमोट ई-वोटिंग के लिए लॉग-इन आईडी एवं पासवर्ड के आवश्यक विवरण सहित उपस्थित पर्ची-सह-प्रवेशपत्र-सह-मतपत्रक संलग्न है. शेयरधारकों के पास रिमोट ई-वोटिंग सुविधा से मत देने का विकल्प है. जो रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का लाभ नहीं उठाना चाहते वे वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख को बैठक स्थल पर अपना वोट दे सकते हैं. ऐसे सभी शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों /प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थित पर्ची में प्रिंट किए गए विवरण को जांच लें और यदि कोई खाली स्थान हो तो उसे भरें, उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उसे बैठक के स्थान पर सुपुर्द कर दें. प्रॉक्सी/शेयरधारक के अधिकृत प्रतिनिधि, उपस्थिति पर्ची-सह प्रवेश पत्र में स्पष्ट करें कि वह 'प्रॉक्सी' है या 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' के रूप में है, जो भी लागू हो. मतपत्रक पास/एंट्री पास को चुनाव के समय मतपत्रक प्राप्त करने के लिए सुपुर्द करना होगा.

ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा पहले से ही अपने मत का प्रयोग कर लिया है, बैठक में भाग ले सकते हैं परंतु अपना वोट पुनः नहीं दे सकेंगे.

5. दूरस्थ ई-वोटिंग तथा वार्षिक समान्य बैठक में वोट के लिए निर्दिष्ट तारीख - शेयरधारकों के रजिस्टर का बंद होना :

बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयरों एवं बैठकें) विनियमन,1998, यथा संशोधित, के विनियम 12, के साथ पठित सेबी विनियमन, 2015 की विनियम संख्या 42 (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण की आवश्यकताओं) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारकों का रिजस्टर तथा शेयर अंतरण रिजस्टर शनिवार, 18 जून 2016 से 24 जून 2016 तक (दोनों दिन सहित) 20वीं वार्षिक सामान्य बैठक के उद्देश्य से बंद रहेगा. शेयरधारक जिनके पास शुक्रवार, 17 जून, 2016 तक बैंक के शेयर हैं, दूरस्थ रिमोट ई-वोटिंग अथवा बैठक में वोटिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेने तथा बैठक की कार्यसूची पर मत देने के लिए प्राधिकृत होंगे.

6. दूरस्थ ई-वोटिंग

सेबी के विनियमन, 2015 के विनियम 44 (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) के अनुसरण में, आपके बैंक को, बैठक के नोटिस में given above, not later than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on Saturday, 18th June 2016.

3. Voting Rights:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

As per Regulation 10 of the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and vote on the Agenda either through remote e-voting or voting at the meeting, if voting right is not exercised through remote e-voting.

4. Attendance Slip-Cum Entry Pass Cum Voting Paper Pass (The Attendance Slip):

For the convenience of the Shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass-cum-Voting Paper Pass is attached with this Notice, with requisite details pre-printed with the remote e-voting log-in id and password. Shareholders have an option to cast their votes by using remote e-voting platform. Those who do not exercise remote e-voting facility can cast their vote at the voting to be conducted at the venue of the meeting on the date of the AGM. Such Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to verify the details printed on the Attendance Slip and fill-in blanks, if any and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy / Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance-Slip as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be. The portion of Voting Paper Pass/ Entry Pass shall be surrendered to obtain Voting Paper at the time of Voting.

Shareholders, who have already exercised their vote through remote e-voting, can attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

Cut-Off Date For remote e-voting and voting at the AGM-Closure of Register of Shareholders:

Pursuant to Regulation No. 12 of Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, read with Regulations No. 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 and Rule No. 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Saturday**, **18**th **June 2016 to 24**th **June 2016 (both days inclusive)** for the purpose of 20th Annual General Meeting. Shareholders holding Bank's Shares as on **Friday**, **17**th **June 2016** will be authorized to attend and vote for the Agenda of the meeting either through remote e-voting or voting at the meeting.

6. Remote E-Voting

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, your Bank is



उल्लेखित मदों पर शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है. इस विषय में शेयरधारकों को निम्ननुसार सूचित किया जाता है:

- क. बैंक ने ई-वोटिंग प्लैटफार्म उपलब्ध कराने हेतु कार्वी कंप्यूटरशेयर्स
 प्रा. लि. को दूरस्थ ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है.
- ख. दूरस्थ ई-वोटिंग हेतु पोर्टल मंगलवार, 21 जून, 2016 को सुबह 9 बजे से गुरुवार, 23 जून, 2016 को शाम 5 बजे तक खुला रहेगा (दोनों दिन सहित).
- ग. दूरस्थ ई-वोटिंग वैकल्पिक है. इस निर्दिष्ट तारीख अर्थात शुक्रवार, 17 जून, 2016 को मूर्त या अमूर्त (डिमैटेरिलाइज्ड) रूप में बैंक के शेयर धारित करने वाले शेयरधारक इलेक्ट्रानिक रूप से अपना वोट दे सकेंगे.
- घ. ई-वोटिंग से संबंधित अनुदेश निम्ननुसार हैं :-
 - जो शेयरधारक उपर्युक्त कट-ऑफ़-डेट को वोट देने हेतु पात्र हैं, ई-वोटिंग के लिए मंगलवार, 21 जून, 2016 को सुबह 9 बजे पोर्टल खुलने पर निम्निलिखत यूआरएल का उपयोग करें : https://evoting.karvy.com
 - लॉग-इन क्रेडेंसियल की अर्थात् नोटिस से संलग्न उपस्थिति पर्ची में उल्लिखित यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रविष्ट करें.
 - iii. उपयुक्त रूप से ब्यौरा दर्ज करने के बाद लॉग-इन पर क्लिक करें.
 - iv. आप 'पासवर्ड बदलें' मेनू में पहुंचेंगे, जहां आपको अनिवार्यतः अपना पासवर्ड बदलना होगा. नये पासवर्ड में एक 'अपर केस' (A से Z), एक लॉअर केस (a से Z), एक अंक (0-9) तथा एक विशेष कैरेक्टर सिंहत न्यूनतम 8 कैरेक्टर होंगे. सिस्टम आपको पहली बार लॉगिन करते समय पासवर्ड बदलने हेतु तथा मोबाइल नं. ई- मेल जैसे संपर्क के ब्यौरे में कोई अद्यतन जानकारी देनी हो तो उसे दर्ज करने हेतु कहेगा. आप यिद अपना पासवर्ड भूल गये हैं, तो उसे पुनः प्राप्त करने हेतु अपनी पसंद के गोपनीय प्रश्न और उत्तर की प्रविष्टि भी कर सकते हैं. यह दृढ़तापूर्वक सिफारिश की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य को न बताएं और इसे गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें.
 - v. आपको नये क्रेडेंसियल से पुनः लॉग-इन करना होगा.
 - vi. सफलतापूर्वक लॉग-इन के बाद, सिस्टम आपको इवेन अर्थात बैंक ऑफ़ बड़ौदा का चयन करने हेतु कहेगा. वोटिंग पृष्ठ पर, निर्दिष्ट तारीख (17 जून 2016) पर शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या प्रदर्शित होगी. आप सहमित अथवा असहमित, जैसा भी मामला हो, पर क्लिक कर सकते हैं. पृष्टि करने हेतु 'OK' पर क्लिक करें, अन्यथा परिवर्तन करने हेतु 'CANCEL' पर क्लिक करें. एक बार पृष्टि करने के बाद आप वोट में परिवर्तन नहीं कर सकते. वोटिंग अवधि के दौरान, शेयरधारक संकल्प पर वोट देने तक कितनी भी बार लॉग-इन कर सकता है.
 - vii. एक से अधिक फोलियो/डिमैट खाता रखने वाले शेयर धारकों को प्रत्येक फोलियो/डिमैट खाते के लिए अलग से वोटिंग प्रक्रिया करनी होगा. तथापि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के अधीन, भारत सरकार के अतिरिक्त अन्य कोई शेयरधारक को, बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक के लिए वोट करने की अनुमित नहीं होगी.
 - viii. उपर्युक्त अनुरूप पोर्टल बंद हो जाएगा एवं बंद होने पर यह सुविधा तत्काल समाप्त हो जाएगी.

pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice of the meeting. Shareholders are informed as under in this regard:

- a) The Bank has appointed Karvy Computershare Private Limited as the remote e-voting agency to provide the e-voting platform.
- b) The Portal will remain open for remote e-voting from 9.00 a.m. on Tuesday, 21st June 2016 up to 5.00 p.m. on Thursday, 23rd June 2016 (both days inclusive).
- c) Remote e-voting is optional. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut – off Date i.e. Friday, 17th June 2016, may cast their vote electronically.
- d) The instructions for remote e-voting are as under:
 - The Shareholders eligible to vote as on the aforesaid Cut-Off Date, to use the following URL for e-voting: https://evoting.karvy.com on opening of the same on Tuesday, 21st June, 2016 at 9.00 a.m.
 - Enter the login credentials i.e., user id and password mentioned in the Attendance Slip annexed on this Notice.
 - After entering the details appropriately, click on LOGIN.
 - iv. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
 - v. You need to login again with the new credentials.
 - vi. On successful login, the system will prompt you to select the EVEN i.e., **Bank of Baroda**. On the voting page, the number of shares as held by the shareholder as on the Cut-off Date (17th June 2016) will appear. You may click on the *ASSENT or DISSENT* as the case may be. Click OK to confirm else CANCEL to modify. **Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the resolution.**
 - vii. Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folio / demat account. However, Shareholders may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no Shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.
 - viii. The portal will close as aforesaid and the facility will be disabled immediately on the closure.



- ix. बैंक ने श्री एस.एन. अनंतसुब्रमणयन, भागीदार, मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणयन एंड कं., प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव एवं इनकी अनुपस्थित में उल्लेखित फर्म की भागीदार सुश्री मालती कुमार, भागीदार को रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया का उचित एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है.
- x. संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) जो वोट देने हेतु प्राधिकृत हों, उन्हें विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरियों के अभिप्रमाणित हस्ताक्षरों सहित संबद्ध बोर्ड संकल्प/प्राधिकार-पत्र की स्कैंड (पीडीएफ/जेपीजी) प्रति scrutinizer@snaco.net पर ई- मेल के माध्यम से संवीक्षक को भेजनी अपेक्षित है.
- xi. ऐसे शेयरधारक, जो नोटिस तथा संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट प्रेषण हेतु आन्तरिक कट-ऑफ़-डेट एवं रिमोट ई-वोटिंग हेतु कट-ऑ, फ-डेट के बीच शेयर प्राप्त करते हैं तथा अपना ई-मेल आईडी रजिस्टर करते हैं, उन्हें इस संदर्भ में कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. आरटीए के माध्यम से सूचना दी जाएगी. विवरण प्राप्त करने हेतु ऐसे अन्य शेयरधारक आरटीए की वेबसाइट https://evoting.karvy.com. को देखें.
- xii. आपका यदि कोई प्रश्न हो तो आप https://evoting.karvy.com पर डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैन्यूअल संबंधी प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) का अवलोकन कर सकते हैं, अथवा मेसर्स कावीं कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. के श्री एस वी राजू (यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा) कावीं सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 और 32, गाचीबोवली, फाइनेन्सियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद 500 032 अथवा से दूरभाष संख्या 040 6716 2222 या 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं.
- xiii. दृढ़तापूर्वक यह सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य को न बताएं और इसे गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें.

7. वार्षिक सामान्य बैठक में चुनावी प्रक्रिया

सिर्फ कार्यसूची की मदों पर वोटिंग, रिमोट ई-वोटिंग तथा बैठक में वोटिंग के माध्यम से होगी. जो रिमोट ई-वोटिंग विकल्प का प्रयोग नहीं करते वे बैठक की तारीख को वार्षिक सामान्य बैठक के स्थल पर आयोजित किए जाने वाले वोटिंग में अपना वोट देने के पात्र होंगे. बैठक के अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में घोषणा किए जाने के तुरंत बाद वोटिंग पेपर दिए जाएंगे और अंतिम शेयरधारक के उपस्थित होने, वोट देने तक जारी रहेगा. इस प्रयोजन से नोटिस के साथ भेजे गए अथवा पंजीकरण के समय जारी किए गए वोटिंग पेपर पास को वापिस जमा करने के बाद शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों को वोटिंग पेपर काउंटर पर जारी किए जाएंगे. वार्षिक सामान्य बैठक हेतु सिर्फ कार्यसूची की मदों के संबंध में वोटों की संख्या उनके द्वारा निर्दिष्ट तारीख अर्थात् 17 जून 2016 तक धारित शेयरों की संख्या के समान होगी.

8. ई-वोटिंग तथा मतदान का परिणाम

वार्षिक सामान्य बैठक में दूरस्थ ई-वोटिंग तथा मतदान के समेकित परिणाम की घोषणा 2 दिन के भीतर अथवा बैठक के अंत में की जाएगी तथा इसे बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और कार्वी की वेबसाइट पर भी डाला जाएगा.

9. चुनाव का संवीक्षक

श्री एस.एन. अनंतसुब्रमणयन, मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणयन एंड कं. के भागीदार, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव एवं इनकी अनुपस्थिति में उल्लेखित फर्म

- ix. The Bank has appointed Mr. S N ANANTHASUBRAMANIAN, on failing him Ms. Malati Kumar Partners, M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- x. Institutional Shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail: scrutinizer@snaco.net
- xi. Shareholders acquiring Shares between the internal Cut –Off Date for dispatch of the Notice and Abridged Annual Report and the Cut-Off Date for remote E-voting and registered their e-mail IDs, shall be sent communication by Karvy Computershare Pvt. Ltd i.e. RTA in this regard. Such other Shareholders may visit RTA's website i.e. https://evoting.karvy.com. to get the details.
- xii. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available at the download section of https://evoting.karvy.com. or contact Mr. S.V. Raju (Unit: Bank of Baroda) of Karvy Computershare Pvt. Ltd Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad 500 032 or at phone no. 040 6716 2222 OR at 1800 345 4001 (toll free).
- xiii. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.

7. VOTING PROCESS AT THE AGM

The voting on the only agenda item shall be done by remote e-voting as well as by voting at the meeting. Those who do not exercise the option of remote e-voting shall be entitled to participate in the voting to be conducted at the venue of the AGM on the date of the meeting. Voting paper will be issued immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman of the meeting and will continue till the last Shareholder present to cast his vote. Voting paper shall be issued at the Counters set up for this purpose to the Shareholders / Proxy holders/ Authorized Representatives on surrender of Voting Paper Pass dispatched along with the Notice or issued at the time of registration. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the Cut-Off Date i.e., 17^{th} June 2016 in respect of the only items of the Agenda for the AGM.

8. RESULTS OF EVOTING AND POLL

The consolidated results of remote e-voting and voting at the AGM will be announced within 2 days or at the end of the Meeting and also hosted on the websites of the Bank, Stock Exchanges and Karvy.

9. SCRUTINIZERS AT POLL

Shri S.N. Ananthasubramanian, on failing him, Ms. Malati Kumar Partners M/s. S N ANANTHASUBRAMANIAN & Co.



की भागीदार सुश्री मालती कुमार, बैठक की सिर्फ कार्यसूची की मदों के संदर्भ में संवीक्षक के रूप में कार्य करेगी. वे बैठक के दौरान आयोजित होने वाली वोटिंग में अन्य शेयरधारकों के साथ संवीक्षक के रूप में भी कार्य करेंगे. अध्यक्ष किसी अन्य शेयरधारक की सहमित से, जो उपस्थित है तथा मत देने के लिए पात्र है, के नाम की घोषणा द्वितीय संवीक्षक के रूप में कार्य करने हेतु कर सकते हैं.

बैठक में वोटिंग प्रक्रिया की निगरानी केन्द्रीय सरकार के नामिति/प्रतिनिधि द्वारा की जाएगी.

10. पते में परिवर्तन

- क. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके पते में कोई परिवर्तन हो तो इसकी सूचना तत्काल बैंक के रिजस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट अर्थात मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.िल. हैदराबाद को दें. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को अपने पते में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना अवश्य ही अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी को देनी चाहिए. बैंक अथवा बैंक के रिजस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है.
- ख. सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र-व्यवहार में अपने संबंधित फोलियो नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर भौतिक रूप में है) और अपना डीपी आईडी/प्राहक आईडी नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं) का उल्लेख अवश्य करें.

11. फोलियो का समेकन

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खाते में अपने समरूप नाम से शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे रिजस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को शेयर प्रमाण-पत्रों के साथ ऐसे खातों के लिए लेजर फोलियो की सूचना दें तािक बैंक एक खाते में सभी धारित शेयरों का समेकन कर सके. पृष्ठांकन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद सदस्यों को शेयर प्रमाण पत्र यथासमय लौटा दिए जाएंगे.

12. भौतिक रूप में शेयर धारिता का अभौतिकीकरण

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपनी शेयर धारिता का अभौतिकीकरण कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें अपने उस संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी से संपर्क करना चाहिए जहां उनका अपना डीमेट खाता है.

13. अंतरणों के लिए प्रस्तृतीकरण

शेयर प्रमाण-पत्र/पत्रों को अंतरण विलेख/विलेखों के साथ बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (अर्थात आरटीए) के पास निमन्तलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए-

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि.

(यूनिट- बैंक ऑफ़ बड़ौदा)

कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, गचिबावली, फायनेंन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल,

हैदराबाद - 500 032 फोन नं. 040 6716 2222,

फैक्स नं. 040 2342 0814 एवं टोल फ्री :1800 345 4001

ई-मेल : einward.ris@karvy.com

14. दावा न किए गए/भुगतान न किए गए लाभांश, पिछले वर्ष का, यदि कोई हो शेयरधारक कृपया नोट कर लें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 में संशोधन के फलस्वरुप बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्था न विधि (संशोधन) Practicing Company Secretaries shall act as Scrutinizer in respect of the only agenda item of the meeting. They shall also act as Scrutinizer along with another shareholder at the meeting for the voting to be conducted at the Meeting. The Chairman may announce the name of any other shareholder present and entitled to vote to act as second scrutinizer subject to his consent.

The voting process at the meeting would be overseen by the Central Government Nominee/Representative who will act as an Observer.

10. Change of Address:

- a) Members holding shares in physical form are requested to advise any change of address if any along with a valid documentary evidence and formal request application duly signed immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. Karvy Computershare Private Limited, Hyderabad. Members holding shares in electronic form must send the advice about change in address to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.
- b) Members are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

11. Consolidation of Folios:

The Members holding shares in physical form in identical order of names in more than one account are requested to intimate to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable them to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the members after making necessary endorsement in due course.

12. Dematerialization of Physical Holdings:

The Shareholders who are holding shares in physical mode may convert their holdings in dematerialized form, for which they may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective de-mat account.

13. Lodgments for Transfers:

Share Certificate/s along with transfer deed/s should be forwarded to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent (i.e. RTA) at the following address.

Karvy Computershare Pvt. Ltd

(Unit :- BANK OF BARODA)

Karvy Selenium Tower B, Plot No 31 & 32

Gachibowli, Financial District,

Nanakramguda, Serilingampally Mandal,

Hyderabad - 500 032

Phone No. 040 6716 2222,

Fax No. 040 2342 0814 and Toll Free: 1800 345 4001

E- mail: einward.ris@karvy.com,

14. Unclaimed/Unpaid Dividend, if any of previous years:

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide "The Banking



अधिनियम, 2006 के मद्देनज़र सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उक्त अधिनियम लागू होने के फलस्वरुप भुगतान हेतु / दावा हेत् शेष लाभांश की राशि तथा उक्त अधिनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश 'अदत्त लाभांश खाते' में अंतरित करें.

'अदत्त लाभांश खाते' में अंतरित राशि और अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि में अदावाकृत /अदत्त राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा २०५ (सी) (कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १२५) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है और उसके पश्चात इस संबंध में भगतान के लिए कोई दावा बैंक को या निधि को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा.बैंक ने वित्तीय वर्ष २००७-०८ तक घोषित किए गए अदत्त लाभांश को पहले ही आईईपीएफ को अंतरित कर दिया है. वित्तीय वर्ष 2008-09 से आगे के अदत्त लाभांश के विवरण के लिए निवेशक बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda. co.in देख सकते हैं.

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2008-09 के बाद से (अभी तक आईईपीएफ को अंतरित नहीं हुआ है) अपने लाभांश पत्रों का नकदीकरण न कराया हो अथवा लाभांश पत्र उन्हें प्राप्त न हुए हों, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट हैदराबाद से उपरोक्त पते पर (पैरा 13) अथवा बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग, मुंबई से निम्नलिखित पते पर सीधे संपर्क करें :

निवेशक सेवाएं विभाग

बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरी मंजिल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. ई-मेल - investorservices@bankofbaroda.com

15. सदस्यों से अनुरोध

कृपया नोट करें कि संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 की प्रतियां, जिन शेयरधारकों ने बैंक में अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराई है उन्हें मूर्त रूप में भारतीय डाक द्वारा और जिन शेयरधारकों ने अपनी ई-मेल आईडी संबंधित डिपोजीटरी/आरटीए/बैंक के साथ पंजीकृत करवा रखी हैं उन्हें ई-मेल द्वारा पूर्ण **वार्षिक रिपोर्ट सॉफ्ट कापी** के रूप में भेज दी गई हैं. वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट अर्थात www.bankofbaroda.co.in पर भी उपलब्ध है. वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वितरित नहीं की जाएंगी, अतः सदस्यों से अन्रोध है कि वे बैठक में अपनी प्रति साथ लेकर आएं.

विशेष ध्यानकर्षण हेत् अनुरोध

भारत सरकार द्वारा की दिशा में की गई हरित पहल को सफल बनाने हेतु उन सभी शेयरधारकों, जिन्होंने संबंधित डिपोजीटरी/आरटीए/बैंक के साथ अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं करवाया है, से अनुरोध है कि ई-मेल द्वारा वार्षिक रिपोर्ट एवं अन्य पत्र प्राप्त करने हेतू इस नोटिस में उल्लिखित अनुच्छेद 13 एवं 14 के अंतर्गत दिए गए पते/ ई-मेल आईडी पर ई-मेल भेजकर/लिखित रूप में अनुरोध कर संबंधित डिपोजीटरी में अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत करवाएं.

> निदेशक मंडल के आदेशानुसार कृते बैंक ऑफ़ बड़ीदा

> > A. PA. JT73+4112

(पी.एस. जयकुमार) दिनांक : 13 मई, 2016

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account".

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Accounts" and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established under Section 205 (C) of the Companies Act, 1956 (Section 125 of Companies Act, 2013) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund. The Bank has already transferred unpaid dividend declared up to FY 2007-08 to IEPF. For the details of unpaid dividend from FY 2008-09 onwards, the Shareholders may visit Bank's website "www.bankofbaroda." co.in"

The Shareholders who have not encashed their dividend warrants for the previous years i.e. from FY 2008-09 onwards (not yet transferred to IEPF) are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent at aforesaid address (para 13) or at Bank's Investors' Services Department at Mumbai on the following address:

Investors' Services Department Bank of Baroda, 3rd Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051. E-mail - investorservices@bankofbaroda.com

15. Request to Members:

Please note that copies of the Abridged Annual Report-2015-16 in physical form have been dispatched separately using the services of Indian Post to those Shareholders who have not registered their email IDs with the Bank and Full Annual Report 2015-16 in soft copy by emails to those Shareholders who have registered their email ids with the respective Depository/ RTA/Bank. The Annual Report is also hosted on the Bank's website i.e. "www.bankofbaroda.co.in" The Annual Report will not be distributed at the Annual General Meeting and hence members are requested to bring their copy at the meeting.

SPECIAL ATTENTION REQUESTED:

Place: Mumbai

Date: 13th May, 2016

In order to support the green initiatives by Government of India, Shareholders who have not registered their email IDs with their respective Depositories/RTA/Bank, are requested to do so with their respective Depositories or by sending emails/request in writing to the RTA/Bank at the address/ email ID stated at para 13 and 14 in this Notice in order to receive Annual Report and other communications over mail.

> By Order of the Board of Directors For BANK OF BARODA

> > 1. S. Jayakma

(P. S. Jayakumar) Managing Director & CEO

स्थान : मुंबई



बैंक ऑफ़ बड़ीदा

प्रधान कार्यालय - मांडवी, बड़ौदा - 390 006

फॉर्म बी

प्रॉक्सी फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षर किया जाए)

डीपीआईडी नं.

	ਸਤੀਲਰ ਸ਼ਹਿਕਸੀ ਤ					
	पजीकृत फीलयों न.		ग्राहक आईडी नं.			
	(यदि शेयर अभौतिक रूप से न हो)		(यदि शेयर अभौतिक रूप में हो)			
	शेयरों की संख्या					
मैं/हम			निवासी			
	जिला					
बैंक ऑफ़	बड़ौदा का / के शेयरधारक होने के न	ाते एतद्द्वारा श्री/श्रीमती				निवासी
	जिल्	ना	राज्य		_ को अथवा उनकी	अनुपस्थिति में
						_
जिला	राज्य		को शुक्रवार, 24 जून,	2016 को दोपह	हर 12.00 बजे र	सर सयाजीराव
स्थगित ता	इड़ोदरा महानगर सेवा सदन, टी.पी रीख को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयर युक्त करता/करती हूं/करते हैं.					
					रसीदी	
दिनांक	माह		2016 को हस्ताक्षरित		टिकट यहां	
प्रॉक्सी के	हस्ताक्षर				चिपकाएं	
नामः			3	प्रथम शेयरधारक		क के हस्ताक्षर
पताः						
_						

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने एवं इसे जमा करने संबंधी अनुदेश

- 1. प्रॉक्सी का लिखत निम्नानुसार होने पर वैध माना जाएगा-
 - क. एकल शेयरधारक व्यक्ति के मामले में, शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो, अथवा
 - ख. संयुक्त धारकों के मामले में, यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो, अथवा
 - निकाय कार्पोरेट के मामले में, लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत इसके अधिकारी अथवा अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो.
 - प्रॉक्सी लिखत शेयरधारक द्वारा उपयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए परंतु यदि किसी कारण से वह अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उसके अंगूठे का निशान लगाया गया है, तब यह तभी वैध माना जाएगा जब इसे किसी न्यायाधिश, मैजिस्ट्रेट, रिजस्ट्रार या उप रिजस्ट्रार ऑफ़ एश्योरेन्सेस या किसी अन्य सरकारी राजपित्रत अधिकारी या बैंक ऑफ़ बड़ौदा के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो.
- 2. विधिवत स्टांपित होने एवं मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत हस्ताक्षर किये हैं अथवा उस मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार की प्रति जो कि किसी नोटरी पिक्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित तथा पूर्व में बैंक के पास जमा की गयी हो एवं बैंक /

बैंक के रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांस्फर एजेन्ट से पंजीकृत हो, प्रधान कार्यालय में केवायसी एवं एएमएल विभाग बैंक ऑफ़ बड़ौदा, आठवां तल, सूरज प्लाजा-।, सयाजीगंज, वडोदरा - 390005 के पास वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात 18 जून 2016 को कार्य समाप्ति के पूर्व सायं 5.00 बजे से पहले जमा किए जाने पर ही प्रॉ क्सी को वैध माना जाएगा. यदि पहले से ही पंजीकृत है, पंजीकरण संख्या व तारीख बताएं.

- 3. प्रॉक्सी का लिखत फार्म "बी" में होने पर ही वैध माना जाएगा.
- 4. बैंक के पास जमा किया गया प्रॉक्सी लिखत अपरिवर्तनीय और अंतिम होगा.
- विकल्प के तौर पर दो गारंटियों के पक्ष में दिए गए प्रॉक्सी-लिखत के मामले में, एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा.
- 6. प्रॉक्सी-लिखत निष्पादित करने वाला शेयरधारक असाधारण सामान्य बैठक में व्यक्तिगत रूप में मतदान का हकदार नहीं होगा.
- 7. किसी भी व्यक्ति को, जो बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है, ऐसा विधिवत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा.
- 8. प्रॉक्सी धारक प्रतयेक संकल्प के 'पक्ष' अथवा 'विपक्ष' में वोट कर सकते हैं.
- 9. प्रॉक्सी फार्म में किए गए सभी परिवर्तन विधिवत रूप से अधिप्रमाणित किए जाने चाहिए.



Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda - 390 006

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the Shareholders)

Regd. Folio No.		DP ID			
	rtoga. i olio i to:		Client ID		1
	(If shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)]
	No. of Shares]
I/We			resident/s of		in
the di	strict of	in the Sta	te of		
being	a shareholder/ shareholder	s of the BANK OF BARODA	, hereby appoint Shri/Smt		
reside	ent of			in the	district of
		in the Sta	ate of		
or fail	ling him/her, Shri/Smt		resident of	in the	district of
	ii	n the State of	as my / our proxy	to vote for me/us and o	n my/our
12.00	Noon at Sir Sayajirao Naga		of the Bank of Baroda to be held ar Seva Sadan, T. P. – 1, F. P. 54 ereof.	<u> </u>	
Signe	ed this da	y of 2010	6.		
Signa	ture of the Proxy		_	Please affix	
				Revenue	
				Stamp	
Adare	ess:		-		
			_ Signature	of first named / sole sha	reholder

Instructions for signing and lodging the Proxy Form

- 1. No instrument of proxy shall be valid unless,
 - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney, duly authorized in writing, or
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/ her attorney, duly authorized in writing, or
 - c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.

Provided that an instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark/thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge or Magistrate or Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of Baroda.

2. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the Bank at Bank of Baroda, KYC & AML Department, 8th Floor, Suraj Plaza-1, Sayajiganj, Vadodara- 390 005, not less than FOUR DAYS before the date fixed for the Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 18th June 2016 together with the Power of Attorney

or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank/its Registrar and Share Transfer Agent. If already registered, the registration No. & Date be provided.

- 3. No instrument of the proxy shall be valid unless it is in Form "B"
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one Form shall be executed.
- The granter of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Baroda.
- 8. The proxy holder may vote either "FOR" or "AGAINST" the each resolution.
- 9. All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.

